सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 62/14 **निर्णय दिनांकः— 3.04.2018**

1. रामप्यारी पत्नी स्व. किशनाराम
2. धर्मादेवी
3. दानादेवी
4. बिमलादेवी
5. दरियासिंह

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. किशनाराम जाति धाणक निवासी जनाऊ मिठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।
2. विकास पुत्र विरेन्द्र पौत्र स्व. अमीचन्द जाति जाट निवासी चक 5 पीएचएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 63/14

1. रामप्यारी पत्नी स्व. किशनाराम
2. धर्मादेवी
3. दानादेवी
4. बिमलादेवी
5. दरियासिंह

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. किशनाराम जाति धाणक निवासी जनाऊ मिठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. मनफूल पुत्र श्री डूंगरराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू हाल चक 5 पीएचएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. विकास पुत्र विरेन्द्र पौत्र स्व. अमीचन्द जाति जाट निवासी चक 5 पीएचएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 09–04–1987 व 26–06–1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री कन्हैयालाल साध, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजकुमार व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 09–04–1987 व 26–06–1987 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मनफूल को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के पति/पिता को दिनांक 18–03–1976 को सक्षम करार देते हुए दिनांक 22–03–1976 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन पात्र धोषित किया जाकर दिनांक 18–09–1980 को चक 5 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 119/43 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि के कुछ भू–भाग पर

रास्ता कट जाने के कारण अपीलांट के पति/पिता को मौके पर 19 बीघा 12 बिस्वा जो शेष भूमि रही थी का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तथा अपीलांट का नाम गिरदावरी सवंत् 2039 से 2044 तक चला आ रहा था। अपीलांट द्वारा अपने आवंटन के फलस्वरूप निर्धारित राशि 23625/— की एवज में राशि 4630/— बतौर किश्त जमा भी करवाई जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादगत् भूमि पर सम्पूर्ण अधिकार सर्जित हो चुके थे। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों को तत्समय ही अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को निरस्त किये बिना ही उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट को संख्या 1 को दिनांक 22—06—1987 को कर दिया गया। ऐसा आवंटन आवंटन नियमों व कानून के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त कर उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विक्रय भी कर दिया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वर्ष 1982 में चक 676—800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 217/52 तादादी

12 बीघा व मुरब्बा नम्बर 177/61 तादादी 21 बीघा भूमि कुल 33 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तबादलें में चक 6 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/44 तादादी 25 बीघा का आवंटन किया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में पूर्व में भूमि निहित होने के कारण अपीलांट के कब्जे शुदा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से उक्त आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने के कारण आवंटन पश्चात् प्राप्त खातेदारी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादगत् भूमि का बेचान किया जाना समस्त कार्यवाही शून्य व एबईनिशियों वॉयड कार्यवाहियॉ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन दिनांक 26—06—1987 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सर्वप्रथम चक 6 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/44 में तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 27—05—1987 को किया गया था। परन्तु उक्त रकबा पूर्व में अन्य व्यक्ति नानकराम पुत्र लक्ष्मणराम के नाम से दिनांक 07—03—1987 को आवंटनशुदा होने के कारण व मौके पर नानकराम का कब्जा काश्त होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित उक्त रकबा निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विनिमय का पात्र मानते हुए अदालत मातहत द्वारा पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 676—800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 217/52 तादादी 12 बीघा व मुरब्बा नम्बर 177/61 तादादी 21 बीघा इस प्रकार कुल 33 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में आगे बताया कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को आवंटित उक्त रकबा भी मुख्य नहर की 1/ कि.मी की परिधि में प्रादेशिक सेना द्वारा वन विभाग हेतु वृक्षारोपण की सूची में प्रस्तावित होने तथा मौके पर वन विभाग की तारबन्दी होने के कारण उक्त रकबा वन विभाग द्वारा अवाप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पुनः वादगत् भूमि चक 5 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 119/43 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि उसे आवंटित भूमि थी ऐसी स्थिति में उक्त आवंटितशुदा आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बताया गया कि अपीलांट को आवंटित रकबा अदालत मातहत द्वारा पूर्व में ही इस आधार पर निरस्त किया जा चुका था कि अपीलांट के पति/पिता किसनाराम द्वारा आवंटित रकबा चक 5 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 119/43 की 20 बीघा भूमि महावीर पुत्र खम्माराम जाति चमार को बेचान कर दी गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 का उल्लंधन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवंटन का निरस्त करते हुए कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश प्रदान किये गये तथा उक्त रकबे को रकबा राज की सूची में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 09—04—1987 को प्रदान किये गये।

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन शुद्व रूप से आराजीराज होने व अपीलांट के आवंटन के निरस्तीकरण के उपरान्त ही आवंटन किया गया है, जो पूर्ण रूप से विधि सम्मत आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त कर लेने के पश्चात् उक्त आराजी का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। इस प्रकार वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट को आवंटित भूमि आवंटन शर्तो की अवहेलना के कारण पूर्व में ही खारिज हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 18—03—1976 को सक्षम करार देते हुए दिनांक 22—03—1976 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन पात्र धोषित किया जाकर दिनांक 18—09—1980 को चक 5 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 119/43 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि के कुछ भू—भाग पर रास्ता कट जाने के कारण अपीलांट के पति/पिता को मौके पर 19 बीघा 12 बिस्वा जो शेष भूमि रही थी का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया अपीलांट द्वारा अपने आवंटन के फलस्वरूप निर्धारित राशि 23625/— की एवज में राशि 4630/—बतौर किश्त जमा भी करवाई जा चुकी थी।

(2) तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सर्वप्रथम चक 6 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/44 में तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 27—05—1987 को किया गया था। परन्तु उक्त रकबा पूर्व में अन्य व्यक्ति नानकराम पुत्र लक्ष्मणराम के नाम से दिनांक 07—03—1987 को आवंटनशुदा होने के कारण व मौके पर नानकराम का कब्जा काश्त होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित उक्त रकबा निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विनिमय का पात्र मानते हुए अदालत मातहत द्वारा पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 676—800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 217/52 तादादी 12 बीघा व मुरब्बा नम्बर 177/61 तादादी 21 बीघा इस प्रकार कुल 33 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में आगे बताया कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को आवंटित उक्त रकबा भी मुख्य नहर की 1/

कि.मी की परिधि में प्रादेशिक सेना द्वारा वन विभाग हेतु वृक्षारोपण की सूची में प्रस्तावित होने तथा मौके पर वन विभाग की तारबन्दी होने के कारण उक्त रकबा वन विभाग द्वारा अवाप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पुनः वादगत् भूमि चक 5 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 119/43 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

(3) प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 18—09—1980 को किया गया आवंटन दिनांक 09—04—1987 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलांट किसनाराम पुत्र गोपालराम द्वारा वादगत् चक 5 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 119/43 की 20 बीघा भूमि को जरिये ईकरारनामा महावीर पुत्र खमाराम को बेचान कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 का उल्लंधन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवंटन का निरस्त करते हुए कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश प्रदान किये गये तथा उक्त रकबे को रकबा राज की सूची में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 09—04—1987 को प्रदान किये गये।

(4) प्रस्तुत मामलें में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में अपीलांट द्वारा किये गये ईकरारनामा दिनांक 13—09—1983 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त ईकरारनामें के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त किये बिना व बिना सम्पूर्ण राशि जमा करायें ही वादगत् भूमि का बेचान महावीर पुत्र खमाराम को किया गया है। जबकि तत्समय ऐसा करने का अपीलांट को कतई कोई अधिकार हासिल नहीं था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करने से पूर्व नियमानुसार वादगत् भूमि के मुख्त्यारआम बहादुर सिंह पुत्र सूरत सिंह को नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के मूल आवंटी किसनाराम पुत्र गोपालराम को भी जरिये नोटिस तलब किया गया कि आप द्वारा उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 एवं जनरल कॉलोनी शरायतों के प्रतिकूल अपने उक्त विवरण की भूमि को स्वयं काश्त न कर अन्य व्यक्ति को दे दिया है/बेचान कर दिया है, इस संबंध में दिनांक

09—04—1987 को उपस्थिति होवे अन्यथा आवंटन खारिज कर दिया जायेगा।

(5) अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09—04—1987 को पत्रावली पेशी में ली गई। अपीलांट बावजदू सूचना के उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार कि अपीलांट किसनाराम मौके पर आबाद नहीं है तथा उक्त रकबा अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर व उनके समक्ष प्रस्तुत ईकरारनामें जिसके आधार पर वादगत् भूमि अपीलांट किसनाराम द्वारा जरिये ईकरारनामा महावीर पुत्र खम्माराम को बेचान किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 का उल्लंधनल करने के आरोप में उक्त रकबा निरस्त करते हुए रकबे को रकबाराज की सूची में सम्मिलित करने के आदेश दिनांक 09—04—1987 को प्रसारित किये गये।

(6) अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 5 पीएचएम के मुरब्बा नम्बर 119/43 की 20 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के पूर्ण रूप से आराजीराज दर्ज होने व विवादरहित होन की दशा में किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त कर लिये जाने के उपरान्त उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि को बिना खारिज किये, बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपीलांट को आवंटित भूमि खारिज करने से पूर्व नियमानुसार अपीलांट व उसके मुख्त्यारआम को नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट व उसके मुख्त्यारआम बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन दिनांक 09—04—1987 को खारिज किया गया है।

तत्पश्चात् वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत भूमि की खातेदारी प्राप्त करने उपरान्त उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अदालत मातहत के उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 09—04—1987 व 26—06—1987 बहाल रखे जाते है।

8. निर्णय आज दिनांक 3.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर